अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक–बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या –04/2013–14 सन् 2013

हशबुल निशा बनाम मो0 बीबी नूरजहाँ वगैरह।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख का अवलोकन किया। विदित होता है कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत इस कार्यवाही में हशबुल निशा, पति स्व0–मो0 मोनीफ नदाफ, ग्राम–रसुलपुर टोले बरहुलिया थाना–सिंहवाड़ा जिला–दरभंगा आवेदिका तथा मो0 बीबी नूरजहाँ पति स्व0–मो0 मोसीम एंव मो0 गरीबुल पिता–स्व0 मो0 मोसीम ग्राम–रसुलपुर टोले बरहुलिया थाना–सिंहवाड़ा जिला–दरभंगा विपक्षी सदस्य है। विवाद के अन्तर्गत इस वाद में मौजे रसुलपुर टोले बरहुलिया में स्थित निम्न ब्योरे की भूमि है :–

खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	चैहद्दी
38	3 (पुराना) 11 (नया)	13 धुर	उत्तर–प्रतिवादी सं0 1
			दक्षिण–सड़क
			पूरब– वादिनी
			पश्चिम–सिमाना बरहुलिया

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका के द्वारा दाखिल परिवाद–पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद की प्रविष्टि दिनांक–01.04.13 को करते हुए सूचना निबंधित निर्गत की गई। आवेदिका ने प्रस्तुत वाद के लिए निर्धारित न्याय शुल्क मो0 एक सौ रूपया फ्रैकिंग मशीन सं0–3355 द्वारा दिनांक–01.04.2013 को जमा किया गया है तथा अपने वाद पत्र को शपथ पत्र के माध्यम से समर्थित किया है।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि निबंधित सूचना निर्गत होने के पश्चात् विपक्षीगण ने कार्रवाई में भाग नहीं लिया। दिनांक–15.04.2013 से 11.06.2013 के बीच कार्रवाई में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में पुनः विपक्षीयों को निबंधित सूचना निर्गत की गई। इसके बावजूद भी विपक्षीगण कार्रवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये। निर्गत दोनों निबंधित सूचना अभिलेख पर वापस प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ऐसा विदित होता है कि विपक्षीयों को उक्त निबंधित सूचना प्राप्त हो गई है, लेकिन विवादित भूमि के संबंध में विपक्षीयों ने अपना कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह भी विदित होता है कि विपक्षीयों को अपने दावे के संबंध में कुछ नहीं कहना है। फलतः न्यायहीत में आवेदिका के परिवाद पत्र के आलोक में उनके विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय सुनते हुए वाद की विधिवत सूनवाई दिनांक–12.07.2013 को पूर्ण की गई है।

आवेदिका के वाद पत्र में संक्षिप्त रूप से यह उल्लेख किया गया है कि मौजे रसुलपुर टोला बरहुलिया अंतर्गत साबिक खाता नं0–38 साबिक खेसरा नं0– 3 रकवा–01 कट्ठा 06 धुर भूमि नया खेसरा नं0–11 का विपक्षी नूरजहाँ को दिनांक– 28.08.1979 के निबंधित विक्रय पत्र के द्वारा नेसार अहमद से प्राप्त हुई थी जिसमे से 13 धुर भूमि दक्षिण से विपक्षी बीबी नूरजहाँ ने दिनांक – 17.09.1979 को आवेदिका के

23/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	पति–मो0 मोनीफ नदाफ को बिक्री कर स्वत्व के साथ दखल–कब्जा दे दिया। मो0 मोनीफ नदाफ अपनी पत्नी आवेदिका एंव तीन पुत्र–(1) मो0 अख्तर नदाफ (2) मो0 खालीद नदाफ एंव (3) मो0 अकबर नदाफ को छोड़कर मर गये। आवेदिका के पुत्रगण घर से बाहर दुसरे प्रदेश में नौकरी करते है। आवेदिका ने अपने वाद पत्र में आगे उल्लेख किया है कि इनके पति ने प्रश्नगत भूमि को नया सर्वे के दौरान खरीद किया था, जिस कारण नया सर्वे में उचित कार्यवाही नहीं कर सके, फलतः भूमि का नया सर्वे खतियान मुस्लिम मोमीन, पिता–रौदी मोमीन के नाम अंकित हो गया, अतएव आवेदिका वो आवेदिका के पुत्र ने एक स्वत्व वाद सं0–17/2008 मुस्लिम मोमीन नया सर्वे खतियानी रैयत के वास्तविक उतराधिकारी के विरूद्ध सब जज, दरभंगा के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमे आवेदिका के पक्ष में निर्णय हुआ। आवेदिका का आरोप है कि विपक्षीयों ने आवेदिका के पुत्रगण के बाहर में नौकरी करने का नाजायज फायदा उठाकर विवादित भूमि से बेदखल कर बलपूर्वक मकान निर्माण प्रारंभ कर दिया। आवेदिका ने विपक्षीयों को मकान निर्माण कार्य बंद कर प्रश्नगत भूमि पर निर्माणाधीन मकान हटाकर दखल–कब्जा दे देने का अनुरोध किया, जिसे दिनांक– 20.03.2013 को विपक्षीयों ने अस्वीकार कर दिया। आवेदिका ने अपने वाद पत्र के माध्यम से मुख्यतः निम्न अनुतोष की माँग की है :– (क) प्रश्नगत भूमि पर आवेदिका का स्वत्व विपक्षीगण के विरूद्ध उद्घोषित किया जाय। (ख) प्रश्नगत भूमि पर निर्माणधीन मकान को तोड़कर दखल–कब्जा विपक्षीगण से आवेदिका के खर्च पर दिला दिया जाय एवं खर्चा निश्वत उसके खर्चा वाद घोषित किया जाय। आवेदिका ने अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजी प्रमाण दाखिल किया है:– (1) केवाला सं0–17843 दिनांक–17.09.1979 मोसमात बीबी नूरजहाँ बनाम मो0 मोनीफ नदाफ की छाया प्रति हिन्दी रूपान्तरण के साथ। (2) जमाबंदी सं0–474 अन्तर्गत राजस्व रसीद वर्ष 2005–06 एंव 2007–08 बनाम खालीद वगैरह पिता–मोनीफ नदाफ की छाया प्रति। (3) अवर न्यायाधीश, प्रथम, दरभंगा के न्यायालय स्वत्व वाद सं0–17/08 मो0 अख्तर नदाफ वगैरह बनाम हदीशा खातुन वगैरह में पारित आदेश दिनांक–27.05.2011 एंव डिक्री दिनांक–30.05.2011 हस्ताक्षरित 03.06.2011 की अभिप्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति। (4) Continuous Khatian मुसलीम मोमीन के नाम की छाया प्रति। आवेदिका के दावे पर उनके विद्वान अधिवक्ता को विपक्षीयों के कार्रवाई में दावा प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में एकपक्षीय सुना। विदित होता है कि मौजे रसुलपूर टोला बरहुलिया अन्तर्गत साबिक	

25/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	खाता नं0–38 साबिक खेसरा नं0–3 रकवा 01 कठा 06 धुर भूमि मो0 हादी की खतियानी भूमि थी और मो0 हादी अपने दो भतीजा नेसार अहमद वो मो0 मोमीन को छोड़कर मर गयें। प्रश्नगत साबिक खेसरा नं0–03 नया खेसरा–11 की 01 कठा 06 धुर भूमि के साथ अन्य भूमि आपसी बँटवारा में नेसार अहमद को हासिल हुई जिसे नेसार अहमद ने दिनांक–28.08.1979 को मोसमात नूरजहाँ को बयनामा कर दिया एंव दखल कब्जा दे दिया। नूरजहाँ ने उक्त 01 कठा 06 धुर भूमि में से दक्षिण भाग से 13 धुर भूमि आवेदिका के पति–मो0 मोनीफ नदाफ को दिनांक–17.09.1979 को वयनामा कर दखल–कब्जा एंव स्वत्वाधिकार सौंप दिया। आवेदिका के पति अपने तीन पुत्रों एंव आवेदिका को छोड़कर मरे तदुपरान्त प्रश्नगत भूमि पर आवेदिका एंव उनके पुत्रों को स्वत्वाधिकार एंव दखल–कब्जा प्राप्त हुआ एंव रहता चला आ रहा था। चूँकि आवेदिका के पुत्रगण घर से बाहर रहते है इसका नाजायज लाभ उठाते हुए विपक्षी नूरजहाँ ने आवेदिका को बेदखल कर बलपूर्वक मकान निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जो विल्कुल नाजायज एंव गैरकानुनी कृत है। यह भी विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि पर स्वत्व वाद सं0–17/08 अन्तर्गत अवर न्यायाधीश प्रथम दरभंगा के न्यायालय से दिनांक–27.05.2011 को स्वत्व की घोषणा आवेदिका के पक्ष में किया जा चुका है जिसका डिक्री दिनांक–03.06.2011 को हुआ है। अतएव उपरोक्त विवेचनोपरान्त बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा– 4 (2) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''चूँकि इस न्यायालय को किसी अधिनियम के तहत अन्तिम रूप से समाप्त या न्याय निर्णीत कार्यवाही के पुनार्विलोकन या फिर से प्रारम्भ (review or reopen) करने का क्षेत्राधिकार नहीं है'' प्रस्तुत कार्यवाही खारिज किया जाता है। आवेदिका अपने दावे के उपचार के निमित पूर्व में सब जज नं0 1 दरभंगा के न्यायालय से निष्पादित स्वत्व वाद सं0 17/08 के आदेश एवं डिक्री के आलोक में उसी न्यायालय के समक्ष याचना करने हेतु स्वतंत्र है। इसी आशय के साथ इस कार्रवाई को निष्पादित किया जाता है। **लेखापित एव शुद्धित** 25/09/13 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 25/09/13 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	